सीबीएसई/सी.ई./समन्वय/12वीं/2021 **30/06/2021**

प्राचार्य/संस्थाओं के प्रमुख,
सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: विषय परिवर्तन के मामले (क्लॉज-14) और 12वीं के अनुपस्थित छात्रों के संबंध में

कक्षा-बारहवीं के लिए परिणाम सारणीकरण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाए:

1 **विषय परिवर्तन मामले (खंड -14)**

"कक्षा-बारहवीं के लिए परिणाम सारणीकरण नीति" के खंड 14 के माध्यम से स्कूलों को कक्षा-XI से कक्षा-XII में परिवर्तित किए गए विषय के संबंध में ग्यारहवीं कक्षा में अंक देने के लिए सर्वश्रेष्ठ तीन विषयों के औसत का उपयोग करने के लिए सूचित किया गया था।

कुछ स्कूलों द्वारा ऐसे मामले रिपोर्ट किए गए हैं जहां बोर्ड से अनुमति के बाद या तो किसी छात्र के सभी विषयों को (बारहवीं में) बदल दिया गया है या कक्षा ग्यारहवीं के केवल एक या दो विषयों को ही कक्षा बारहवीं में छात्रों ने अध्ययन के लिए चुना है।

ऐसे सभी मामलों में, नोट किया जाए कि :

(a) स्कूल पहले से यह सुनिश्चित करेगा कि दिए गए समय के अनुसार सीबीएसई से पहले ही अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अनुमति के किसी भी नए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(b) स्कूल कक्षा ग्यारहवीं में वास्तव में पढ़े गए विषयों से सर्वश्रेष्ठ तीन विषयों के औसत का उपयोग करके कक्षा ग्यारहवीं के इन विषयों का मूल्यांकन करेगा।

2 **अनुपस्थित उम्मीदवार**

विद्यालयों द्वारा यह संज्ञान में लाया जा रहा है कि कुछ छात्र जो एल॰ओ॰सी॰ जमा करने के समय विद्यालय में पढ़ रहे थे अब निम्नलिखित कारणों से परीक्षा / परिणाम की गणना के लिए उपलब्ध नहीं हैं:

(a) छात्र पहले ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र ले चुका है।

(b) छात्र, मृत्यु अथवा नाम काटने आदि के मामलों सहित, किसी भी कारण से स्कूल का एक वास्तविक छात्र नहीं रह गया है।

(c) पूरे सत्र के दौरान विभिन्न ऑनलाइन/ऑफ़लाइन परीक्षाओं/मूल्यांकनों के लिए परीक्षा/प्रेक्टिकल समय सारिणी के दौरान छात्रों से संपर्क नहीं किया जा सका और आवश्यक मूल्यांकन किया जाना ना तो संभव था और ना ही संभव है।

ऐसे सभी मामलों में यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों को **अनुपस्थित** चिह्नित किया जाए ताकि ऐसे छात्रों के संबंध में परिणाम घोषित ना हो। यह ध्यान दिया जाए कि इन छात्रों के संबंध में डेटा उन्हें **शून्य** अंक देकर या उनके नाम के सामने कुछ और उल्लेख करके अपलोड ना किया जाए।

(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

प्रति : वेब-एडमिन को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए